

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

☎ : www.education.rajasthan.gov.in/secondary

☎ - 0151-2523666

✉ so.csection@gmail.com

—:: कार्यालय आदेश ::—

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक : 09.09.2021 द्वारा जारी आदेश में व्याख्याता स्कूल शिक्षा को राज्य सेवा में/वर्तमान पद पर निरन्तर संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर कार्मिक के स्वयं के आवेदन करने पर व संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/लेखाधिकारी की अनुशंसा अनुसार क्रम संख्या 09 पर अंकित कार्मिक श्रीमती ताहिरा बानो जन्म तिथि 15.12.1972 व्याख्याता उर्दू राउमावि भीमगज मण्डी, कोटा को 20 वर्षीय सेवावधि पूर्ण करने पर द्वितीय एसीपी पे-लेवल 13 में स्वीकृत की गयी थी।

कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक : प.2(1) कार्मिक/क-2/अ.प्र./91 दिनांक : 04.06.2008 के बिन्दु 17.4 के अनुसार पुनर्विलोपित/पुनरीक्षण आरक्षित सूचि केवल चालु विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष के लिये ही बनाई जा सकेगी और वर्ष के अन्तिम दिन तक ही यह प्रवृत्त रहेगी।

कार्मिक की नियमित पदोन्नति डीपीसी वर्ष 2020-21 चयन तिथि 01.04.2020 से की गई हैं। नियमित पदोन्नति से पूर्व कार्मिक की सेवा 18 पूर्ण हो चुकी है अतः कार्मिक को नियमानुसार नियमित नियुक्ति तिथि से 18 वर्षीय एसीपी देय हैं।

अतः इस कार्यालय द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक : 09.09.2021 के क्रम संख्या 09 पर अंकित कार्मिक श्रीमती ताहिरा बानो का एसीपी आदेश प्रत्याहरित किया जाता है।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/एसीपी/2018-19/1226

दिनांक : 22-02-2022

➤ प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. संबंधित संयुक्त निदेशक /मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा।
02. संबंधित जिला अधिकारी (मुख्यालय) मा.शि./मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
03. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय-हाजा को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
04. संबंधित संस्था प्रधान राउमावि./राबाउमावि।
05. संबंधित कार्मिक।
06. गार्ड फंजिका/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर